रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26042022-235354
CG-DL-E-26042022-235354

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1830] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 25, 2022/ वैशाख 5, 1944
No. 1830] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 25, 2022/VAISAKHA 5, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2022

का.आ. 1923(अ).—प्रारूप अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4021 (अ), तारीख 28 सितंबर, 2021, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 29 सितंबर, 2021 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युतर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया था;

और, पानीदेहिंग पक्षी अभयारण्य, असम राज्य के शिबसागर जिले में स्थित है और जो (अधिसूचना संख्या 3392 आर, तारीख 27 जुलाई, 1888 द्वारा मूल रूप से अधिसूचित की गई थी) 77.76 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र वाले पानीदेहिंग वन क्षेत्र के भाग से मिलकर बनता है और तत्पश्चात् तीन वर्ष 1928, 1949 और 1977 में अनारक्षित किया गया था, शेष शुद्ध क्षेत्र 21.40389 वर्ग किलोमीटर था और निकटवर्ती जल निकाय है और 27°4.5' उ से 27°10' उ अक्षांश और 94°25' से 94° 40' पू देशांतर की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत स्थित है और 33.93 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ

है, जो असम सरकार की अधिसूचना सं.एफआरडब्ल्यू.71/95/पीटी/6, तारीख 10 अगस्त, 1999 द्वारा पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया; जिसमें पानीदेहिंग आरक्षित वन का 2.93 वर्ग किलोमीटर और पानीदेहिंग आरक्षित वन के आस-पास 31.00 वर्ग किलोमीटर का गैर-कैडस्ट्राल क्षेत्र सम्मिलित है;

और, भारत के जैव-भौगोलिक वर्गीकरण (2000) के अनुसार, पानीदेहिंग पक्षी अभयारण्य पूर्वोत्तर ब्रहमपुत्र घाटी जैव-भौगोलिक प्रांत (9 क) में पूर्वोत्तर जैव-भौगोलिक क्षेत्र (9) के अंतर्गत आता है, और वन किस्मों में विविध और समृद्ध वनस्पतियों असम जलोढ़ मैदान अर्ध सदाबहार वनों, पूर्वी मौसमी दलदल वनों, पूर्वी आर्द्र जलोढ घास के मैदान और जलीय वनस्पति को आश्रय प्रदान करता है;

और, पानीदेहिंग पक्षी अभयारण्य महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (आई बी ए) है और यह 200 से अधिक पक्षी प्रजातियों को आश्रय प्रदान करता है जिनमें से पक्षियों की 34 संकटपूर्ण लुप्तप्राय, लुप्तप्राय, लगभग संकटापन्न और अतिसंवेदनशील पक्षी प्रजातियां है;

और, पानीदेहिंग पक्षी अभयारण्य से कुछ वनस्पति प्रजातियां एग्रोस्टिस जेन्केरी, एप्लुडा मुटीका, एक्सोनोपुस कॉम्प्रेस्सुस, सायप्रस साइपेराइड्स, साइप्रस किल्लिंगिया, इचिनोचलोया क्रुसगल्ली, इरिचोला प्रोकेरा, हायमेनाचने प्स्यूडोइंटेरूप्टा, पानीकम वालेंसे, पास्पालुम डिलाटातुम, सच्छारूम स्पोन्टानेउम, इम्पेराटा सिलिन्ड्रिका इछ्होर्निया क्रेस्सिपेस, तरपा बिसपिनोसा, एगेरतुम कोनयजोआडेस, सैथियम स्टुमेरियम, अमारांथुस स्पिनोसुस, तरेविया नुडिफ्लोरा, फिकस ग्लोमेराटा, जिजिफस जुजुबा, अलबिज्जिया लेबेक्क, किन्नामोमम बेजोल्घोटा, आदि अभिलिखित की गई हैं;

और, पानीदेहिंग पक्षी अभयारण्य से महत्त्वपूर्ण पक्षी प्रजातियां वाइट बेल्लिद बगुला (अरदेया इंसिगनिस), वाइट रूमपेड गिद्ध (गयपस बेंगालेंसिस), भारतीय गिद्ध (गयपस इंडिकस), सलेंडर बिल्लेड गिद्ध (गयपस टेनोस्टिस), स्पून बिल्लेड सैंडपिपेर (यूरीनोरहाइन्चस पायगमेउस), बेयर पोचार्ड (अयथ्या बेइरी), ओरिएंटल स्टॉक (किकोनिया बोयकिअना), ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक (लेप्टोपटिलोस डुबिउस), स्पोट्टेड ग्रीनशंक (ट्रिंगा गुट्टिफेर), फलकाटेड बत्तख (अनास फलकाटा), फेरूगिनोउस बत्तख (अयथ्या नयरोका), ब्लैक नेक्कड स्ट्रॉक (इफिप्पियरिनचुस एशियाटिकस), ब्लैक हेडेड इबिस (थ्रेस्किओनिस मेलानोकेफलुस), स्पूट बिल्लेड पेलिकन (पेलेकनस फिलिप्पेंसिस), ओरिएंटल डार्टर (अंहिंगा मेनोगस्टेर), ग्रे हेडडेड फिश ईगल (इचथ्योफागा इचथ्येतुस), चिनेरेउस गिद्ध (ऐगयपिउस मोनाचुस), पल्लिद हैरियर (क्रिकस मैक्रोरूस), ब्लैक-बेल्लिद टर्न (स्ट्रेर्ना एकुटिसौडा), बल्यथ किंगफिशर (एल्केडो हेर्कुलेस), तीतलेर लीफ वॉर्बलेर (फयल्लोस्कोपुस तीतलेरी), स्वाम्प फ्रेंकोलिन (फरांकोलिनस गुलारिस), बैकल टैल (अनुसा फ्रोमोसा), लेस्सेर एडजुटेंट (लेप्टोप्टिलोसा जवानिकस), दाल्माटिन पेलिकन (पेलेकनस क्रिसपस), लेस्सेर केस्टेल (फलको नौमान्नी), पल्लास फिश ईगल (हलिएइटस लूकोरीफुस), ग्रेटर स्पोट्टेड ईगल (एक्यूला क्लांगा), पूर्वी सरूस क्रेन (गरूस एंटीगोने), वुड स्निप (गल्लिनागो नेमोरिकोला), बरिस्टलेड ग्रासबर्ड (चेटोर्निस स्टोइटा), मार्श बब्लैर (पेल्लोर्नेउम पलुस्टेड), तवंय-ब्रेस्टेड-बब्बलेर (स्पेलाइओर्निस लोंगिकाउडाटस), ब्लैक-ब्रेस्टेड पेरोटबिल्ल (पैराडॉक्सोर्निस फलाविरोस्ट्रिस), आदि अभिलिखित की गई हैं;

और, पानीदेहिंग पक्षी अभयारण्य में अत्यधिक शोधात्मक, मनोरंजनात्मक और शैक्षिक मूल्य हैं और सीमांत क्षेत्रों में जैविक दबाव में वृद्धि अभयारण्य के वास को प्रभावित कर सकती है। संरक्षित क्षेत्रों के आसपास बढ़ती मानव जनसंख्या का दीर्घकाल में संरक्षित क्षेत्र के वास, जंतुओं, पक्षियों और मछलियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

और, पानीदेहिंग पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, को पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राज्य के शिबसागर जिले में पानीदेहिंग पक्षी अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.36 किलोमीटर से 12.46 किलोमीटर तक के भिन्न-भिन्न विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात्:-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार पानीदेहिंग पक्षी अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.36 किलोमीटर से 12.46 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 282.121 वर्ग किलोमीटर है। संरक्षित क्षेत्र से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के 0.36 किलोमीटर के न्यूनतम विस्तार को राज्य सरकार द्वारा उचित ठहराया गया है क्योंकि, संरक्षित क्षेत्र की सीमा के तेल और प्राकृतिक गैस की उपस्थिति है और वर्तमान में कई तेल कुएं और ड्रिलिंग स्थल की मौजूदगी और भविष्य में संभावित ड्रिलिंग स्थल के मद्देनजर तेल और प्राकृतिक गैस की सुरक्षित खोज और ड्रिलिंग के लिए उपायों को उपाबंध – IV में रखा जाएगा।

(2) पानीदेहिंग पक्षी अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण उपाबंध-I के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए पानीदेहिंग पक्षी अभयारण्य के मानचित्र उपाबंध–IIक और उपाबंध –IIख के रूप में संलग्न है।

(4) पानीदेहिंग पक्षी अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू- निर्देशांकों की सूची उपाबंध-III की सारणी क और सारणी ख में दी गई है।

(5) पानीदेहिंग पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत कोई ग्राम नहीं आता है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, एक आंचलिक महायोजना बनाएगी और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ और राज्य में सक्षम प्राधिकारी से उसे सम्यक रूप से अनुमोदित कराएगी ।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार राज्य सरकार द्वारा उसे सम्यक रूप से बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना, में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को सम्मिलित करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) असम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; और

(xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, मछली पालन क्षेत्र, पशुपालन स्थल (खुटी), ऑर्किड, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा और योजना में मौजूदा और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देते हुए मानचित्रों को भी दर्शाया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए प्रक्रिया प्रदान करेगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैरा 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा और इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय और संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

(10) आंचलिक महायोजना और किसी नए विकासात्मक क्रियाकलाप विचाराधीन अनुमोदन होने तक पैरा 6 के उप-पैरा (3) और (4) में निर्दिष्ट उपबंधों द्वारा शासित होंगे।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) भू-उपयोग.– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं जिसके अन्तर्गत गृह वास भी है; और

(v) पैरा-4 में उल्लिखित संवर्धित क्रियाकलापः

परंतु यह और कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

IndiaCode

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुन: वनीकरण के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल निकाय.-** सभी प्राकृतिक जलमार्गों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस रीति से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना, राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व-परिभाषित और अभिहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों ,समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसार होगा;

(iii) जब तक आंचलिक महायोजना का अनुमोदन हो, तब तक पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/ रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात, आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.-** पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

indiacode

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय-यातायात.-** यानीय गमनागमन को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे, आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गमनागमन के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** यानीय प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी, समय-समय पर यथा संशोधित, मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 और पर्यावरणीय समाधान निर्धारण अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	वर्णन (3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन, मृदा उत्खनन, रेत खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी। (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 4 अगस्त, 2006 के आदेश और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगीः परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	प्रतिषिद्ध।

6.	नई आरा मिलों विनर मिलों और अन्य, काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
9.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
10.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना की अनुमति नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुज्ञा भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से परे यह आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी, समय-समय पर यथा संशोधित उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।

13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा) होगा।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ न्यूनीकरण उपाय करना।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ न्यूनीकरण उपाय करना।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
20.	रात्रि में यानीय यातायात का गमनागमन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा ।
22.	फर्मों, कारपोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे ।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
24.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।

IndiaCode

	प्रयोग और निष्कर्षण ।	
25.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	कृषि और अन्य उपयोग के लिए खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
30.	सुरक्षा बल शिविर या सेना प्रतिष्ठान।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
ग. सवर्धित क्रियाकलाप		
31.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	वनस्पति बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा ।
35.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	अवक्रमित भूमि या वनों या पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार एक निगरानी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:

क्र.सं.	निगरानी समिति का गठन	पदनाम
1.	उपायुक्त, शिबसागर	अध्यक्ष,पदेन;
2.	संभागीय वनाधिकारी, शिबसागर वन संभाग	सदस्य, पदेन;
3.	क्षेत्रीय पूर्व अभियंता, क्षेत्रीय प्रयोगशाला सह-कार्यालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शिबसागर	सदस्य, पदेन;
4.	कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिबसागर	सदस्य, पदेन;
5.	जिला परिवहन अधिकारी, शिबसागर	सदस्य, पदेन;
6.	जिला कृषि अधिकारी, शिबसागर	सदस्य, पदेन;
7.	जिला पशु चिकित्सा अधिकारी, शिबसागर	सदस्य, पदेन;
8.	जिला मत्स्य विकास अधिकारी, शिबसागर	सदस्य, पदेन;
9.	महाप्रबंधक, जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र, शिबसागर	सदस्य;
10.	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
11.	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला गैर सरकारी संगठन (पर्यावरण और विरासत संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत) का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
12.	संभागीय वनाधिकारी, शिबसागर संभाग	सदस्य-सचिव

6.**निर्देश-निबंधन:-** (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति अवधि अगले आदेश होने तक होगी, परंतु समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएंगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना की अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पणधारियों को, मामला दर मामला आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक की अपनी गतिविधियों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट, राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, उपाबंध-V पर उपाबद्ध प्रारूप के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कार्य-कलापों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

IndiaCode

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. न्यायालय और अधिकरण, आदि के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/180/2015-ईएसजेड-आरई]

तन्मय कुमार, अपर सचिव

उपाबंध - I

असम राज्य में पानीदेहिंग पक्षी अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

पूर्व:

पानीदेहिंग पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा जी.पी.एस. बिंदु सं.1 (94° 40' 17.322" पू एवं 27° 11' 47.430" उ) से आरंभ होती है। जी.पी.एस. बिंदु सं.1 से पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा जी.पी.एस. बिंदु सं. 2 और 3 को पार करके तटबंध के साथ दक्षिण की ओर जाती है यह जी.पी.एस. बिंदु सं.4 (94° 39' 50.967" पू एवं 27° 10' 6.790" उ) तक मिलती है। जी.पी.एस. बिंदु सं. 4 से पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा जी.पी.एस. बिंदु सं.5 (94° 40' 33.849" पू 27° 9' 48.358" उ) को पार करके जाती है यह जी.पी.एस. बिंदु सं.6 (94° 40' 54.410" पू एवं 27° 9' 12.474" उ) तक मिलती है। जी.पी.एस. बिंदु सं.6 से, सीमा जी.पी.एस. बिंदु सं.7 और 8 को पार करके सड़क के साथ पूर्व की ओर जाती है और जी.पी.एस. बिंदु सं. 9 (94° 42' 6.739" पू एवं 27° 9' 14.491" उ) से मिलती है। जी.पी.एस. बिंदु सं. 9 से पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा जी.पी.एस. बिंदु सं.10 और 11 को पार करके सड़क के साथ उत्तर की ओर जाती है और जी.पी.एस. बिंदु सं. 12 (94° 42' 31.827" पू एवं 27° 9' 35.516" उ) से मिलती है। जी.पी.एस. बिंदु सं.12 से सीमा जी.पी.एस. बिंदु सं. 13 को पार करके पूर्व की ओर जाती है और जी.पी.एस. बिंदु सं.14 (94° 43' 8.018" पू एवं 27° 9' 33.995" उ) से मिलती है। जी.पी.एस. बिंदु सं. 14 से सीमा जी.पी.एस. बिंदु सं. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 को पार करके पानीदेहिंग रिज़र्व वन के साथ दक्षिण की ओर जाती है और जी.पी.एस. बिंदु सं. 28 (94° 39' 3.428" पू एवं 27° 6' 19.995" उ) से मिलती है। जी.पी.एस. बिंदु सं. 28 से सीमा जी.पी.एस. बिंदु सं. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 को पार करके सड़क के साथ दक्षिण की ओर जाती है और जी.पी.एस. बिंदु सं.36 (94° 37' 50.882" पू एवं 27° 3' 17.497" उ) से मिलती है।

दक्षिण:

जी.पी.एस. बिंदु सं. 36 (94° 37' 50.882" पू एवं 27° 3' 17.497" उ) से सीमा जी.पी.एस. बिंदु सं. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 को पार करके पश्चिम की ओर जाती है और जी.पी.एस. बिंदु सं.47 (94° 26' 20.577" पू एवं 27° 5' 19.790" उ) मिलती है जो ब्रहमपुत्र नदी की उत्तरी तट में स्थित है।

पश्चिम:

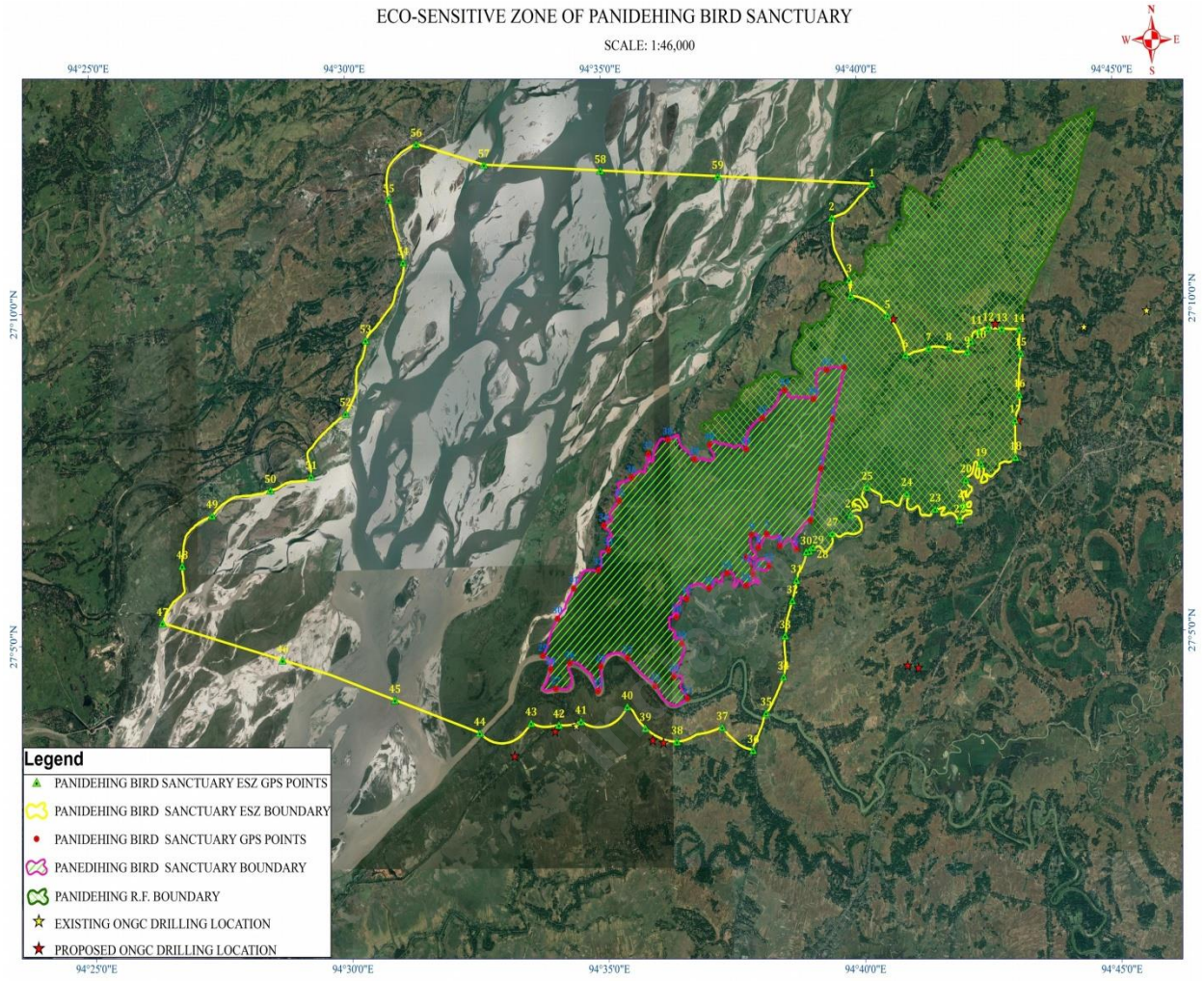
जी.पी.एस. बिंदु सं.47 (94° 26' 20.577" पू एवं 27° 5' 19.790" उ) से सीमा जी.पी.एस. बिंदु सं. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 को पार करके ब्रहमपुत्र नदी के साथ उत्तर की ओर जाती है और जी.पी.एस. बिंदु सं.56 (94° 31' 23.625" पू एवं 27° 12' 29.475" उ) से मिलती है।

उत्तर:

जी.पी.एस. बिंदु सं. 56 (94° 31' 23.625" पू एवं 27° 12' 29.475" उ) से सीमा जी.पी.एस. बिंदु सं. 57, 58, 59 को पार करके पूर्व की ओर जाती है और जी.पी.एस. बिंदु सं.1 (94° 40' 17.322" पू एवं 27° 11' 47.430" उ) से मिलती है ।

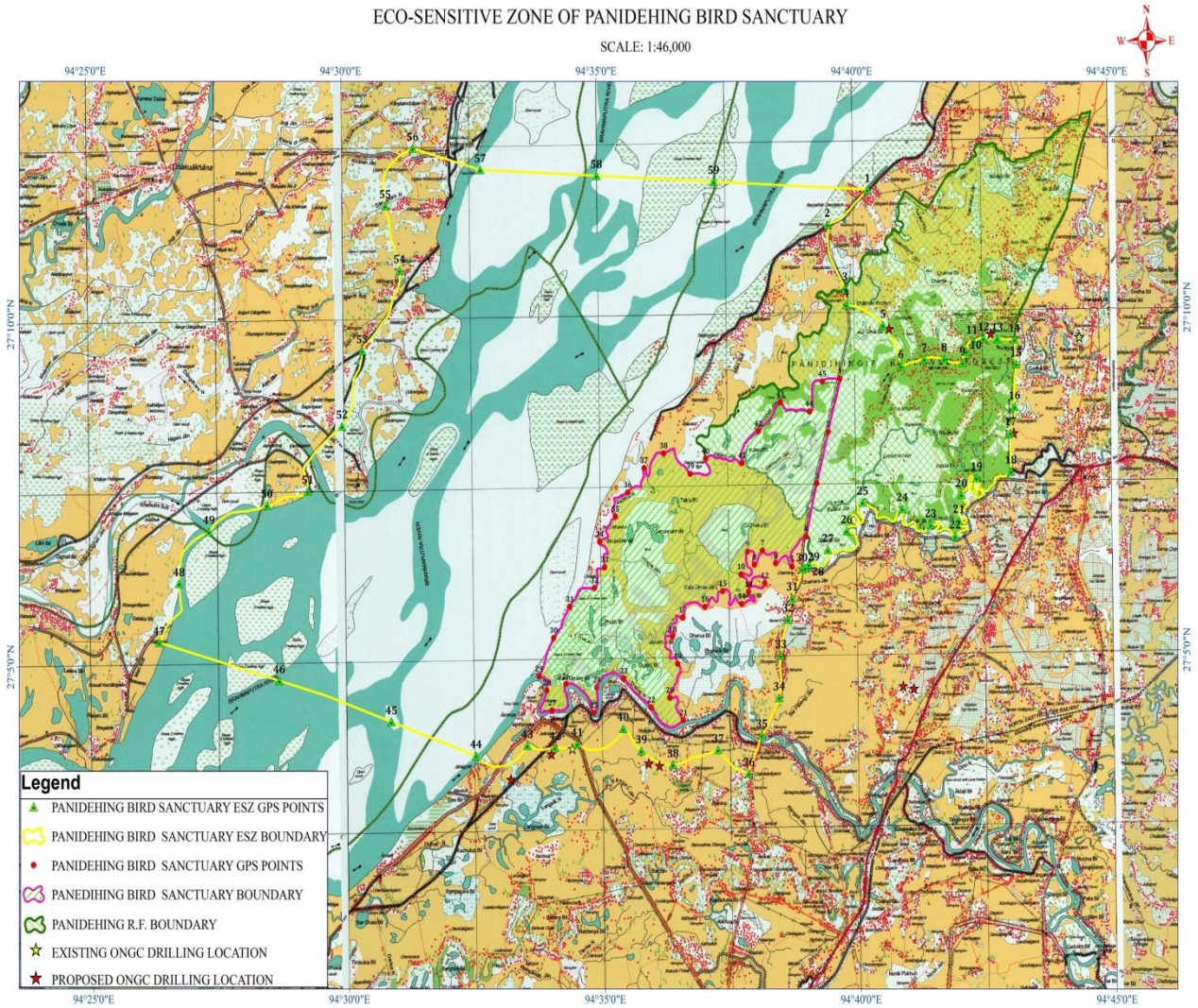
उपाबंध - IIक

पानीदेहिंग पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के गूगल मानचित्र के साथ मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर



उपाबंध - IIख

पानीदेहिंग पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र के साथ मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर



उपाबंध -III

सारणी क: पानीदेहिंग पक्षी अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

जी.पी.एस बिंदु	देशांतर	अक्षांश
1	94° 39' 55.347" पू	27° 8' 57.286" उ
2	94° 39' 40.846" पू	27° 8' 10.675" उ
3	94° 39' 26.770" पू	27° 7' 25.811" उ
4	94° 39' 13.780" पू	27° 6' 39.219" उ
5	94° 38' 56.659" पू	27° 6' 13.185" उ
6	94° 38' 37.493" पू	27° 6' 16.406" उ
7	94° 38' 22.160" पू	27° 6' 27.791" उ

8	94° 38' 12.445" पू	27° 6' 15.366" उ
9	94° 38' 4.580" पू	27° 6' 27.064" उ
10	94° 37' 56.781" पू	27° 6' 7.171" उ
11	94° 38' 5.703" पू	27° 5' 57.919" उ
12	94° 38' 24.506" पू	27° 5' 59.020" उ
13	94° 38' 5.296" पू	27° 5' 51.706" उ
14	94° 37' 57.365" पू	27° 5' 41.220" उ
15	94° 37' 35.170" पू	27° 5' 52.742" उ
16	94° 37' 14.021" पू	27° 5' 39.193" उ
17	94° 36' 47.651" पू	27° 5' 30.139" उ
18	94° 36' 35.491" पू	27° 5' 13.484" उ
19	94° 36' 41.307" पू	27° 4' 49.626" उ
20	94° 36' 31.658" पू	27° 4' 20.083" उ
21	94° 36' 47.321" पू	27° 4' 0.124" उ
22	94° 36' 9.716" पू	27° 4' 11.822" उ
23	94° 35' 37.794" पू	27° 4' 37.399" उ
24	94° 35' 6.137" पू	27° 4' 29.997" उ
25	94° 35' 2.635" पू	27° 4' 7.791" उ
26	94° 34' 29.986" पू	27° 4' 33.566" उ
27	94° 34' 13.260" पू	27° 4' 10.412" उ
28	94° 34' 7.457" पू	27° 4' 28.012" उ
29	94° 33' 58.527" पू	27° 4' 40.349" उ
30	94° 34' 16.171" पू	27° 5' 13.924" उ
31	94° 34' 35.480" पू	27° 5' 41.015" उ
32	94° 35' 4.560" पू	27° 5' 57.207" उ
33	94° 35' 16.645" पू	27° 6' 15.221" उ
34	94° 35' 11.433" पू	27° 6' 37.456" उ
35	94° 35' 30.070" पू	27° 6' 59.398" उ
36	94° 35' 44.808" पू	27° 7' 20.414" उ
37	94° 36' 4.382" पू	27° 7' 41.629" उ
38	94° 36' 27.381" पू	27° 7' 54.142" उ
39	94° 36' 58.223" पू	27° 7' 35.901" उ

IndiaCode

40	94° 37' 16.640" पू	27° 7' 48.943" उ
41	94° 37' 59.425" पू	27° 7' 44.580" उ
42	94° 38' 18.902" पू	27° 8' 12.203" उ
43	94° 38' 45.000" पू	27° 8' 37.449" उ
44	94° 39' 18.977" पू	27° 8' 28.863" उ
45	94° 39' 34.430" पू	27° 8' 54.903" उ

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

जी.पी.एस बिंदु	देशांतर	अक्षांश
1	94° 40' 17.322" पू	27° 11' 47.430" उ
2	94° 39' 29.831" पू	27° 11' 17.355" उ
3	94° 39' 49.544" पू	27° 10' 21.366" उ
4	94° 39' 50.967" पू	27° 10' 6.790" उ
5	94° 40' 33.849" पू	27° 9' 48.358" उ
6	94° 40' 54.410" पू	27° 9' 12.474" उ
7	94° 41' 21.743" पू	27° 9' 18.207" उ
8	94° 41' 45.194" पू	27° 9' 18.182" उ
9	94° 42' 6.739" पू	27° 9' 14.491" उ
10	94° 42' 11.166" पू	27° 9' 24.171" उ
11	94° 42' 19.936" पू	27° 9' 32.876" उ
12	94° 42' 31.827" पू	27° 9' 35.516" उ
13	94° 42' 47.771" पू	27° 9' 34.847" उ
14	94° 43' 8.018" पू	27° 9' 33.995" उ
15	94° 43' 9.550" पू	27° 9' 12.597" उ
16	94° 43' 7.247" पू	27° 8' 35.141" उ
17	94° 43' 2.091" पू	27° 8' 12.163" उ
18	94° 43' 2.132" पू	27° 7' 38.556" उ
19	94° 42' 21.501" पू	27° 7' 33.284" उ
20	94° 42' 3.487" पू	27° 7' 18.852" उ
21	94° 42' 0.236" पू	27° 6' 56.193" उ
22	94° 41' 55.754" पू	27° 6' 42.534" उ

IndiaCode

23	94° 41' 27.279" पू	27° 6' 52.851" उ
24	94° 40' 54.191" पू	27° 7' 7.335" उ
25	94° 40' 7.674" पू	27° 7' 13.538" उ
26	94° 39' 48.426" पू	27° 6' 48.696" उ
27	94° 39' 26.246" पू	27° 6' 32.417" उ
28	94° 39' 3.428" पू	27° 6' 19.995" उ
29	94° 38' 59.175" पू	27° 6' 16.669" उ
30	94° 38' 55.469" पू	27° 6' 16.027" उ
31	94° 38' 43.852" पू	27° 5' 50.649" उ
32	94° 38' 38.772" पू	27° 5' 32.075" उ
33	94° 38' 29.774" पू	27° 5' 0.532" उ
34	94° 38' 27.313" पू	27° 4' 23.488" उ
35	94° 38' 6.405" पू	27° 3' 51.061" उ
36	94° 37' 50.882" पू	27° 3' 17.497" उ
37	94° 37' 14.954" पू	27° 3' 38.770" उ
38	94° 36' 21.708" पू	27° 3' 26.313" उ
39	94° 35' 44.947" पू	27° 3' 38.884" उ
40	94° 35' 23.925" पू	27° 3' 58.555" उ
41	94° 34' 29.573" पू	27° 3' 45.853" उ
42	94° 34' 3.750" पू	27° 3' 42.924" उ
43	94° 33' 31.178" पू	27° 3' 45.031" उ
44	94° 32' 31.031" पू	27° 3' 36.701" उ
45	94° 30' 52.114" पू	27° 4' 7.469" उ
46	94° 28' 41.010" पू	27° 4' 44.869" उ
47	94° 26' 20.577" पू	27° 5' 19.790" उ
48	94° 26' 44.379" पू	27° 6' 11.023" उ
49	94° 27' 20.078" पू	27° 6' 56.323" उ
50	94° 28' 28.564" पू	27° 7' 18.655" उ
51	94° 29' 16.458" पू	27° 7' 30.531" उ
52	94° 29' 57.570" पू	27° 8' 27.046" उ
53	94° 30' 21.978" पू	27° 9' 32.816" उ
54	94° 31' 6.755" पू	27° 10' 42.697" उ

IndiaCode

55	94° 30' 50.680" पू	27° 11' 39.616" उ
56	94° 31' 23.625" पू	27° 12' 29.475" उ
57	94° 32' 42.800" पू	27° 12' 9.901" उ
58	94° 34' 59.130" पू	27° 12' 3.204" उ
59	94° 37' 16.798" पू	27° 11' 56.404" उ

उपाबंध -IV

पानीदेहिंग पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में और उसके चारों ओर तेल और प्राकृतिक गैस की सुरक्षित खोज और खुदाई के उपाय

प्रयोक्ता एजेंसियों के लिए दिशा-निर्देश

1. संरक्षित क्षेत्र, अधिसूचित पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र, इंडो-वर्मा जैव-विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आने वाले किसी क्षेत्र और संरक्षित क्षेत्र के निकटवर्ती 10 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधिसूचित भारतीय पक्षी क्षेत्र (आई बी ए) में जैव विविधता प्रभाव आकलन अध्ययन किया जाएगा। यह अध्ययन संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर के पर्यावरण और वन्यजीव पर्यावासों की सुरक्षा के लिए प्रतिषिद्ध एजेंसियों के माध्यम से कराया जाना है, जिसमें महत्त्वपूर्ण स्थलीय और जलीय वनस्पतियों और जीवजंतुओं को तथा गांगेय डॉल्फिन, एशियाई हाथी, गैडों,बाघ, तेंदुए, एशियाई वन्य भैंस, पूर्वी दलदल हिरण आदि जैसी प्रमुख प्रजातियों को शामिल किया जाएगा।

2. राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के परिसरों को उनके चारों ओर 10 फीट ऊंचे बैरिकेड लगाकर कवर किया जाना है और चेन लिंक बाड़ और विद्युत बाड़ एवं स्थानीय फलदार पेड़ और अन्य स्थानी वन प्रजातियों का रोपण करके बैरिकेड से 7.5 मीटर की परिधि में 'सुरक्षा क्षेत्र' बनाया जाना है ताकि वन्यजीवों की क्षति को रोका जा सके।

3. अनुसूचित जनजातियां और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 या वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित वन वासियों के अधिकारों की रक्षा की जानी है।

4. ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल), तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) या ऐसी अन्य प्रयोक्ता एंजेसियों को राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के आसपास सभी तटवर्ती सुविधाओं के लिए तेल बिखराव जोखिम आकलन करना है और तेल बिखराव को रोकने की दृष्टि से पर्याप्त रूप से उपयुक्त विद्यमान सुविधाओं में आवश्यक संशोधन करने या नई सुविधाओं की स्थापना करने के लिए योजना बनाना है।

5. पाइपलाइन सुविधाओं और दबाव सेंसर, रिमोट कंट्रोल्ड मोटराइज्ड वाल्व और पंप के लिए रिमोटर शट ऑफ सुविधाएं जैसी सुविधाओं की स्थापना सहित अन्य सभी अपेक्षित मामलों में रिसाव का पता लगाने के लिए पर्यवेक्षी नियंत्रण तथा डाटा प्राप्ति प्रणाली (एस सी ए डी ए) स्थापित की जानी है।

6. ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल), तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) या अन्य ऐसी प्रयोक्ता एंजेसियों द्वारा तेल बिखराव को रोकने संबंधी आकस्मिक योजना और उसे बंद करने के लिए उपशमन उपायों संबंधी अनुमोदित मानक प्रचालन प्रकिया (एस ओ पी) की एक प्रति भेजी जानी है।

7. अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) के अनुसार, जैव-उपचार प्रौद्योगिकी प्रणालियों के द्वारा स्थल को उसकी सामान्य स्थिति में लाने सहित अचानक हुए तेल बिखराव के कारण आसपास के वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को सीमित करने के लिए उचित उपाय अपनाएं जाने है।

8. मानक संचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार तेल बिखराव की घटनाओं से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए ऑपरेशन कर्मियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाना है।

9. दुर्घटना अन्य घटनाओं के कारण होने वाली पर्यावरणीय क्षति से बचने के लिए खुदाई के दौरान ब्लो प्रिवेंशन पद्धति (बी ओ पी) और उत्पादन सुविधाओं में वाल्वों की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है।

10. स्वचालित बंदी कारवाईयां आरंभ करने के लिए सभी सुविधाओं में आपातकालीन बंदी प्रणाली की व्यवस्था होनी चाहिए।

11. गैस की गति को न्यूनतम किया जाना चाहिए और गैस की अपरिहार्य लपटों के लिए सर्वोत्तम अंतराष्ट्रीय पद्धतियां अपनायी जानी चाहिए।

12. ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल), तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) या अन्य ऐसी प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और असम वन विनियमन, 1891 में यथा निर्धारित सभी शर्तो का पालन किया जाना है।

13. ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल), तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) या अन्य ऐसी प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में निर्धारित शर्तो का पालन किया जाना है।

14. सतही जल के संदूषण से बचने के लिए एहतियाती उपाय किए जाने हैं।

15. संवेदी क्षेत्रों में ध्वनि स्तर, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रखा जाएगा, जो कि सीमा तक सीमित किया जाना है।

16. आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए अग्निशमन व्यवस्था 24x7 आधार पर होनी चाहिए।

17. क्षेत्र के चारों ओर दैनिक खोज और उत्पादन क्रियाकलापों के बारे में स्थानीय वनपालकों या संभागीय वन अधिकारी के साथ नियमित बातचीत की जानी चाहिए।

18. अधिसूचित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की स्थानीय निगरानी समिति के निर्देशों का पालन किया जाएगा।

19. इन दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन संबंधी सम्पूर्ण व्यय का निवर्हन ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल), तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) या अन्य ऐसी प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा किया जाना है।

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट का प्रपत्रः

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।

2. बैठकों का कार्यवृत: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।

3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।

4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार) । विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।

5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।

6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25 April, 2022

S.O. 1923(E).—WHEREAS, a draft notification was Published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O 4021 (E), dated the 28th September, 2021, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby

within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 29th September, 2021

AND WHEREAS, objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were duly considered by the Central Government;

WHEREAS, Panidehing Bird Sanctuary is situated in Sibsagar District in the State of Assam and consists of a part of the Panidehing Reserve Forest (originally notified as Reserve Forest *vide* notification no. 3392R, dated the 27th July 1888 with an area of 77.76 square kilometers and subsequently after three deservations the years in 1928, 1949 and 1977, the net area remained was 21.40389 square kilometers and adjoining water bodies and located within the geographical limits of 27°4.5' N to 27°10' N latitudes and 94°25' to 94° 40' E and is spread over an area of 33.93 square kilometers notified *vide* Government of Assam Notification No. FRW.71/95/Pt/6, dated the 10th August, 1999 as a Bird Sanctuary; which consists of 2.93 square kilometers the Panidehing Reserve Forest and 31.00 square kilometers of non cadestral areas surrounding the Panidehing Reserve Forest;

AND WHEREAS, Panidehing Bird Sanctuary falls in the North East Brahmaputra Valley Bio-geographic Province (9A) under North East Bio-geographic Zone (9) as per the Bio-geographical Classification of India (2000), and supports diverse and rich flora in the forest types of Assam Alluvial Plains Semi Evergreen Forests, Eastern Seasonal Swamp Forests, Eastern Wet Alluvial Grassland and aquatic flora;

AND WHEREAS, Panidehing Bird Sanctuary is an Important Birding Area (IBA) and supports over 200 avifauna species of which 34 are critically endangered, endangered, nearly threatened and vulnerable species of avifauna; and

AND WHEREAS, some of the flora species recorded from the Panidehing Bird Sanctuary are *Agrostis zenkeri, Apluda mutica, Axonopus compressus, Cyperus cyperoides, Cyperus kyllingia, Echinochloa crusgalli, Erichola procera, Hymenachne pseudointerrupta, Panicum walense, Paspalum dilatatum, Saccharum spontaneum, Imperata cylindrica, Eichhornia cressipes, Trapa bispinosa, Ageratum conyzoides, Xanthium strumarium, Amaranthus spinosus, Trewia nudiflora, Ficus glomerata, Ziziphus zuzuba, Albizzia lebeck, Cinnamomum bejolghota,* etc;

AND WHEREAS, important avifauna recorded from the Panidehing Bird Sanctuary are white bellied heron (*Ardea insignis),* white rumped vulture (*Gyps bengalensis),* Indian vulture (*Gyps indicus),* slender billed vulture (*Gyps tenuirostris),* spoon billed sandpiper (*Eurynorhynchus pygmeus),* Baer's pochard (*Aythya baeri),* oriental stork (*Ciconia boyciana),* greater adjutant stork (*Leptoptilos dubius,* spotted greenshank (*Tringa guttifer,* falcated duck (*Anas falcate),* ferruginous duck (*Aythya nyroca),* black necked stork (*Ephippiorhynchus asiaticus),* black headed ibis (*Threskionis melanocephalus),* spot billed pelican (*Pelecanus philippensis),* oriental darter (*Anhinga melanogaster),* grey headed fish eagle (*Ichthyophaga ichthyaetus),* cinereous vulture (*Aegypius monachus,* pallid harrier (*Circus macrourus,* black-bellied tern (*Sterna acuticauda),* Blyth's kingfisher (*Alcedo Hercules),* Tytler's leaf-warbler (*Phylloscopous tytleri),* swamp francolin (*Francolinus gularis),* Baikal teal (*Anus Formosa),* lesser adjutant (*Leptoptilos javanicus),* Dalmatian pelican (*Pelecanus crispus),* lesser kestrel (*Falco naumanni),* Pallas's fish-eagle (*Haliaeetus leucoryphus),* greater spotted eagle (*Aquila clanga),* eastern sarus crane (*Grus antigone),* wood snipe (*Gallinago nemoricola),* bristled grassbird (*Chaetornis striata),* marsh babbler (*Pellorneum palustre),* tawny-breasted wren-babbler (*Spelaeornis longicaudatus),* black-breasted parrotbill (*Paradoxornis flavirostris),* etc;

AND WHEREAS, Panidehing Bird Sanctuary has immense research, recreational and educational values and increase in biotic pressure in the fringe areas can affect the habitat of the Sanctuary. The increasing human population surrounding the Protected Areas is likely to have an adverse impact on the habitat, animals, birds and fishes of the protected area in the long run;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Panidehing Bird Sanctuary which are specified in paragraph 1, as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) , clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.36 kilometres to 12.46 kilometres around the boundary of Panidehing Bird Sanctuary, in Sibsagar District in the State of Assam as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of the Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0.36 kilometres to 12.46 kilometres around the boundary of Panidehing Bird Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 282.121 square kilometres. The State Government has justify that the 0.36 kilometres minimum extent of Eco-sensitive Zone from the Protected Area is due to the presence of oil and natural gas in the immediate vicinity of the Protected Area boundary, and existence of many oil wells and drilling sites in the present and prospective drilling sites in the future, in view of which a set of measures for safe oil and natural gas exploration and drilling have been laid down in the **Annexure IV**.

(2) The boundary description of Panidehing Bird Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

(3) The maps of the Panidehing Bird Sanctuary demarcating the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA** and **Annexure-IIB.**

(4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Panidehing Bird Sanctuary and the Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

(5) There are no villages falling in the Eco-sensitive Zone of Panidehing Bird Sanctuary**.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-**(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification and get it duly approved by the competent authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Assam State Pollution Control Board; and
(xii) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, green area, such as, parks and it's like places, horticultural areas, fishing areas, cattle rearing spots (khuti), orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall provide mechanism for regulating developmental activities in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved by the State Government shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

(10) Pending approval of the Zonal Master Plan, any new developmental activities shall be governed by provisions specified in sub-paragraphs (3) and (4) of paragraph 6.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or any other law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

(b) efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

(b) the Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, as amended from time to time, with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc, shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 as made under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and

Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone;

(b) only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying, soil excavation, sand mining and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within the Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to

		time, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills, veneer mills or otherwood based industries.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
9.	Use of polythene bags.	Prohibited.
	B. Regulated Activities	
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.

		(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws.
22.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
23.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Open Well, Borewell, etc. for agriculture and other usages.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Security Forces Camp or Army establishment.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Vegetative fencing.	Permitted as per applicable laws.

IndiaCode

35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
37.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
39.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
40.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
41.	Restoration of degraded land or forests or habitat.	Shall be actively promoted.
42.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, under the provisions of sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	**Constituent of the Monitoring Committee**	**Designation**
1.	The Deputy Commissioner, Sibsagar	Chairman, ex officio;
2.	The Divisional Forest Officer, Sibsagar Forest Division	Member; ex officio;
3.	The Regional Executive Engineer, Regional Laboratory -cum - Office, Pollution Control Board,Sibsagar	Member; ex officio;
4.	The Executive Engineer, Water Resources Department, Sibsagar	Member; ex officio;
5.	The District Transportation Officer, Sibsagar	Member; ex officio;
6.	The District Agriculture Officer, Sibsagar	Member; ex officio;
7.	The District Veterinary Officer, Sibsagar	Member; ex officio;
8.	The District Fisheries Development Officer, Sibsagar	Member; ex officio;
9.	The General Manager, District Industries and Commerce Centers, Sibsagar	Member;
10.	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the State Government	Member;
11.	One representative of Non-Governmental Organisation (working in the field of environment and heritage conservation) to be nominated by the State Government	Member;
12.	The Divisional Forest Officer, Sibsagar Division	Member-Secretary.

IndiaCode

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are

falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure-V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Orders of Courts and Tribunals, etc.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/180/2015-ESZ-RE]

TANMAY KUMAR, Addl. Secy.

IndiaCode

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF PANIDEHING BIRD SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE IN THE STATE OF ASSAM

EAST:

Panidehing Bird Wildlife Sanctuary Eco-Sensitive Zone boundary starts from the GPS Point No. 1 (94° 40' 17.322" E & 27° 11' 47.430" N). From GPS Point No. 1 the ESZ boundary runs towards the south along the embankment crossing GPS Point No. 2 and 3 till it meets the GPS Point No. 4 (94° 39'50.967" E & 27° 10' 6.790" N). From GPS Point No.4 the ESZ boundary runs crossing GPS Point No. 5 (94° 40' 33.849" E 27° 9' 48.358" N) till it meet the GPS Point No. 6 (94° 40' 54.410" E & 27° 9' 12.474" N). From GPS Point No. 6, the boundary runs toward east along the road crossing GPS Point No.7 and 8 and meet GPS Point No. 9 (94° 42' 6.739" E & 27° 9' 14.491" N). From GPS Point No.9 the ESZ boundary runs towards north along the road crossing GPS Point No. 10 and 11 and meets the GPS Point No. 12 (94° 42' 31.827" E & 27° 9' 35.516" N). From GPS Point No. 12 the boundary runs towards east crossing GPS Point No. 13 and meets GPS Point No. 14 (94° 43' 8.018" E & 27° 9' 33.995" N). From the GPS Point No.14 boundary runs towards south along the Panidehing reserved forest crossing GPS Point No.15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 and meets GPS Point No.28 (94° 39' 3.428" E & 27° 6' 19.995" N). From the GPS Point No.28 the boundary runs towards south along the road crossing GPS Point No. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 and meets GPS Point No.36 (94° 37' 50.882" E & 27° 3' 17.497" N).

SOUTH:

From the GPS Point No. 36 (94° 37' 50.882" E & 27° 3' 17.497" N) the boundary runs towards west crossing GPS Point No. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 and meets GPS Point No.47 (94° 26' 20.577" E & 27° 5' 19.790" N) which is located at the northern bank of the river Brahmaputra.

WEST:

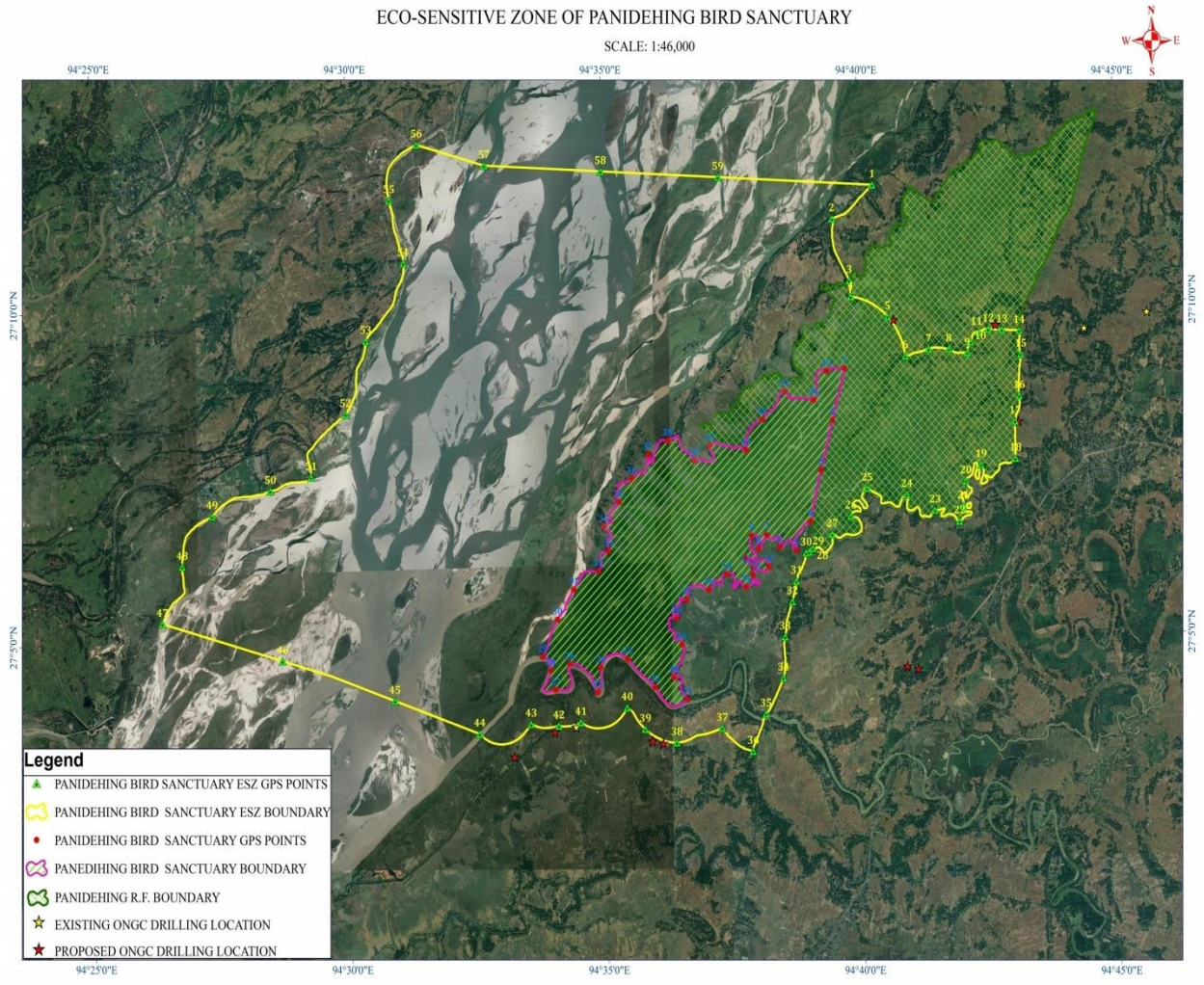
From the GPS Point No.47 (94° 26' 20.577" E & 27° 5' 19.790" N) the boundary runs towards north along the river Brahmaputra crossing GPS Point No. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 and meets GPS Point No.56 (94° 31' 23.625" E & 27° 12' 29.475" N).

NORTH:

From GPS Point No. 56 (94° 31' 23.625" E & 27° 12' 29.475" N) the boundary runs towards east crossing GPS Point No. 57, 58, 59 and meets GPS Point No.1 (94° 40' 17.322" E & 27° 11' 47.430" N).

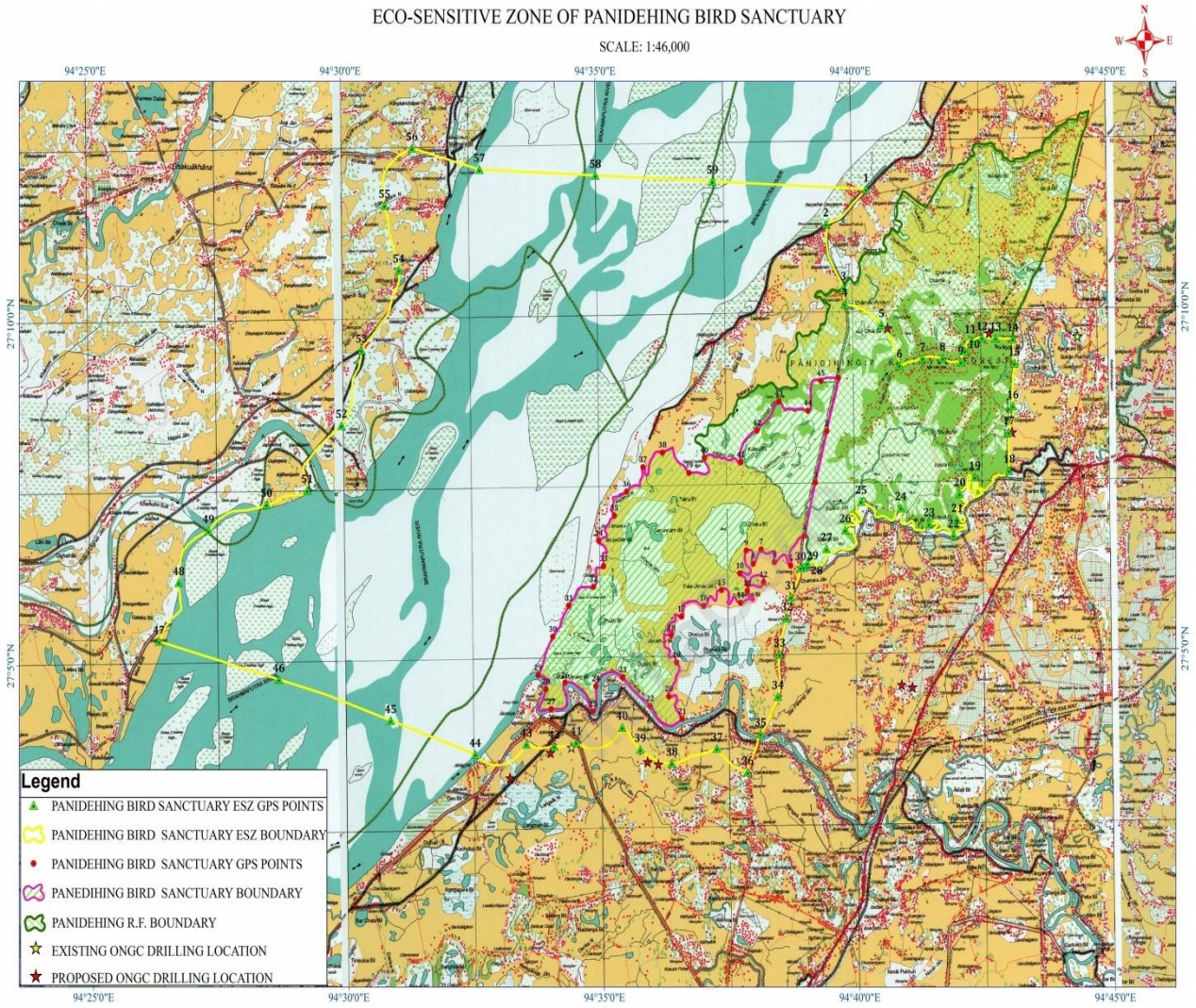
ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF PANIDEHING BIRD SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF PANIDEHING BIRD SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF PANIDEHING BIRD SANCTUARY

GPS POINTS	LONGITUDE	LATITUDE
1	94° 39' 55.347" E	27° 8' 57.286" N
2	94° 39' 40.846" E	27° 8' 10.675" N
3	94° 39' 26.770" E	27° 7' 25.811" N
4	94° 39' 13.780" E	27° 6' 39.219" N
5	94° 38' 56.659" E	27° 6' 13.185" N
6	94° 38' 37.493" E	27° 6' 16.406" N
7	94° 38' 22.160" E	27° 6' 27.791" N
8	94° 38' 12.445" E	27° 6' 15.366" N
9	94° 38' 4.580" E	27° 6' 27.064" N

10	94° 37' 56.781" E	27° 6' 7.171" N
11	94° 38' 5.703" E	27° 5' 57.919" N
12	94° 38' 24.506" E	27° 5' 59.020" N
13	94° 38' 5.296" E	27° 5' 51.706" N
14	94° 37' 57.365" E	27° 5' 41.220" N
15	94° 37' 35.170" E	27° 5' 52.742" N
16	94° 37' 14.021" E	27° 5' 39.193" N
17	94° 36' 47.651" E	27° 5' 30.139" N
18	94° 36' 35.491" E	27° 5' 13.484" N
19	94° 36' 41.307" E	27° 4' 49.626" N
20	94° 36' 31.658" E	27° 4' 20.083" N
21	94° 36' 47.321" E	27° 4' 0.124" N
22	94° 36' 9.716" E	27° 4' 11.822" N
23	94° 35' 37.794" E	27° 4' 37.399" N
24	94° 35' 6.137" E	27° 4' 29.997" N
25	94° 35' 2.635" E	27° 4' 7.791" N
26	94° 34' 29.986" E	27° 4' 33.566" N
27	94° 34' 13.260" E	27° 4' 10.412" N
28	94° 34' 7.457" E	27° 4' 28.012" N
29	94° 33' 58.527" E	27° 4' 40.349" N
30	94° 34' 16.171" E	27° 5' 13.924" N
31	94° 34' 35.480" E	27° 5' 41.015" N
32	94° 35' 4.560" E	27° 5' 57.207" N
33	94° 35' 16.645" E	27° 6' 15.221" N
34	94° 35' 11.433" E	27° 6' 37.456" N
35	94° 35' 30.070" E	27° 6' 59.398" N
36	94° 35' 44.808" E	27° 7' 20.414" N
37	94° 36' 4.382" E	27° 7' 41.629" N
38	94° 36' 27.381" E	27° 7' 54.142" N
39	94° 36' 58.223" E	27° 7' 35.901" N
40	94° 37' 16.640" E	27° 7' 48.943" N
41	94° 37' 59.425" E	27° 7' 44.580" N
42	94° 38' 18.902" E	27° 8' 12.203" N
43	94° 38' 45.000" E	27° 8' 37.449" N
44	94° 39' 18.977" E	27° 8' 28.863" N
45	94° 39' 34.430" E	27° 8' 54.903" N

IndiaCode

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

GPS POINTS	LONGITUDE	LATITUDE
1	94° 40' 17.322" E	27° 11' 47.430" N
2	94° 39' 29.831" E	27° 11' 17.355" N
3	94° 39' 49.544" E	27° 10' 21.366" N
4	94° 39' 50.967" E	27° 10' 6.790" N
5	94° 40' 33.849" E	27° 9' 48.358" N
6	94° 40' 54.410" E	27° 9' 12.474" N
7	94° 41' 21.743" E	27° 9' 18.207" N
8	94° 41' 45.194" E	27° 9' 18.182" N
9	94° 42' 6.739" E	27° 9' 14.491" N
10	94° 42' 11.166" E	27° 9' 24.171" N
11	94° 42' 19.936" E	27° 9' 32.876" N
12	94° 42' 31.827" E	27° 9' 35.516" N
13	94° 42' 47.771" E	27° 9' 34.847" N
14	94° 43' 8.018" E	27° 9' 33.995" N
15	94° 43' 9.550" E	27° 9' 12.597" N
16	94° 43' 7.247" E	27° 8' 35.141" N
17	94° 43' 2.091" E	27° 8' 12.163" N
18	94° 43' 2.132" E	27° 7' 38.556" N
19	94° 42' 21.501" E	27° 7' 33.284" N
20	94° 42' 3.487" E	27° 7' 18.852" N
21	94° 42' 0.236" E	27° 6' 56.193" N
22	94° 41' 55.754" E	27° 6' 42.534" N
23	94° 41' 27.279" E	27° 6' 52.851" N
24	94° 40' 54.191" E	27° 7' 7.335" N
25	94° 40' 7.674" E	27° 7' 13.538" N
26	94° 39' 48.426" E	27° 6' 48.696" N
27	94° 39' 26.246" E	27° 6' 32.417" N
28	94° 39' 3.428" E	27° 6' 19.995" N
29	94° 38' 59.175" E	27° 6' 16.669" N
30	94° 38' 55.469" E	27° 6' 16.027" N
31	94° 38' 43.852" E	27° 5' 50.649" N
32	94° 38' 38.772" E	27° 5' 32.075" N
33	94° 38' 29.774" E	27° 5' 0.532" N
34	94° 38' 27.313" E	27° 4' 23.488" N
35	94° 38' 6.405" E	27° 3' 51.061" N
36	94° 37' 50.882" E	27° 3' 17.497" N
37	94° 37' 14.954" E	27° 3' 38.770" N
38	94° 36' 21.708" E	27° 3' 26.313" N
39	94° 35' 44.947" E	27° 3' 38.884" N
40	94° 35' 23.925" E	27° 3' 58.555" N
41	94° 34' 29.573" E	27° 3' 45.853" N
42	94° 34' 3.750" E	27° 3' 42.924" N

MediaCode

43	94° 33' 31.178" E	27° 3' 45.031" N
44	94° 32' 31.031" E	27° 3' 36.701" N
45	94° 30' 52.114" E	27° 4' 7.469" N
46	94° 28' 41.010" E	27° 4' 44.869" N
47	94° 26' 20.577" E	27° 5' 19.790" N
48	94° 26' 44.379" E	27° 6' 11.023" N
49	94° 27' 20.078" E	27° 6' 56.323" N
50	94° 28' 28.564" E	27° 7' 18.655" N
51	94° 29' 16.458" E	27° 7' 30.531" N
52	94° 29' 57.570" E	27° 8' 27.046" N
53	94° 30' 21.978" E	27° 9' 32.816" N
54	94° 31' 6.755" E	27° 10' 42.697" N
55	94° 30' 50.680" E	27° 11' 39.616" N
56	94° 31' 23.625" E	27° 12' 29.475" N
57	94° 32' 42.800" E	27° 12' 9.901" N
58	94° 34' 59.130" E	27° 12' 3.204" N
59	94° 37' 16.798" E	27° 11' 56.404" N

ANNEXURE-IV

MEASURES FOR SAFE OIL AND NATURAL GAS EXPLORATION AND DRILLING IN AND AROUND ECO-SENSITIVE ZONE OF PANIDEHING BIRD SANCTUARY

Guidelines for User Agencies

1. Biodiversity Impact Assessment study to be conducted around the Protected Area, the notified Eco-Sensitive Zone area, and any area falling in Indo-Burma Biodiversity Hotspot and Notified Indian Bird Area (IBA) in the 10 kilometers vicinity of the Protected Area. The study has to be undertaken through agencies of repute to safe guard the environment and the wildlife habitats around the Protected Area, covering important flora and fauna, terrestrial as well as aquatic and also covering flagship species such as Gangetic Dolphin, Asiatic Elephant, Rhino, Tiger, Leopard, Asiatic Wild Buffalo, Eastern Swamp Deer, etc.

2. Operating Well plinths in the vicinity of the National Park and Wildlife Sanctuaries are to be covered with 10 feet high barricade around them and 'Safety Zone' to be created at radius of 7.5 meters from the barricade by providing Chain Link Fencing and Power fencing and indigenous fruit trees and other local forest species to be planted in the said area, in order to prevent injuries to wildlife.

3. Rights of forest dwellers to be protected as prescribed under Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 or Forest Rights Act, 2006.

4. Oil India Limited (OIL), Oil and Natural Gas Corporation(ONGC) or other such user agencies have to conduct Oil Spill Risk Assessment for all onshore facilities around the National Park and Wildlife Sanctuary and plan for necessary modification of existing facilities or installation of new facilities which are found to be potentially hazard to Oil spills.

5. Supervisory Control and Data Acquisition Systems (SCADA) to be installed for leak detection of the Pipeline facilities and all other required cases including installation of facilities like pressure sensors, Remote Controlled MotoriSed valves and Remote Shut Off facilities for pumps etc.

6. Oil India Limited (OIL), Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) or other such user agencies to submit a copy of approved Standard Operating Procedure (SOP) for restricting Oil Spillage Contingency plan and mitigation measures for arrest the same.

7. Appropriate measures to be adopted to restrict impacts on surroundings due to accidental Oil Spillages including restoration of site to its normalcy with Bio-remediation technology/others, as per approved Standard Operating Procedure.

8. Operation personnel are to be trained adequately for effective handling of Oil Spill incidents as per guidelines specified in Standard Operating Procedure.

9. Erection of Blow Prevention System (BOP) during drilling phase and valves in Production facilities to be ensured in order to avoid environmental damages due to accident or other incidents.

10. An emergency shutdown system should be in place in all facilities to initiate automatic shutdown actions.

11. Gas flaring has to be minimized and best international practices to be adopted for flaring of gases which are un-avoidable.

12. Oil India Limited (OIL)/ Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) or other such user agencies have to comply with all stipulated conditions as framed under Environment Impact Assessment Notification, 2006, Forest (Conservation) Act,1980, Wildlife (Protection) Act,1972 and the Assam Forest Regulation, 1891.

13. Oil India Limited (OIL)/ Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) or other such user agencies have to strictly comply with the conditions stipulated in Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

14. Precautionary measures to be taken to avoid contamination of surface water.

15. Noise levels for the sensitive areas to be restricted to limit as laid down by the State Pollution Control Board.

16. Fire Fighting arrangement are to be kept standby on 24x7 basis to meet the eventualities in case so arises.

17. Regular interaction to be established with local Rangers or Divisional Forest Officers for day to day Exploration and production activities around the area.

18. The directions of the local Monitoring Committee of the notified Eco-Sensitive Zone shall be adhered to.

19. All expenses in the implementation of these Guidelines to be borne by the Oil India Limited (OIL)/ Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) or other such user agencies.

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report: Eco-sensitive Zone Monitoring Committee

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.04.26 15:50:11 +05'30'